कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास)—बलरामपुर।

पत्रांक C-805/ जि0का0अधि0 / आं0बा0स्था0 / नियुक्ति / 2024–25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–19 / 2023 / 3975 / 58–1–2022–2 / 1(22)10 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना शहर (नगर पालिका परिषद, बलरामपुर), बलरामपुर देहात, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, गैंसड़ी, पचपेड़वा, श्रीदत्तगंज, उतरौला, गैण्डास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थिनियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है। :–

क्र0	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण					
		अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अना0	ई0डब्ल्यू0एस0	योग
1	शहर	1	7	8	9	3	28
2	बलरामपुर देहात	6	25	32	34	9	106
3	हरैया सतघरवा	5	25	22	20	7	79
4	तुलसीपुर	0	32	29	56	11	128
5	गैंसडी	2	9	15	27	4	57
6	पचपेड़वा	1	9	7	16	2	35
7	श्रीदत्तगज	0	10	9	10	3	32
8	उतरौला	0	13	10	20	5	48
9	गैण्डास बुजुर्ग	0	17	17	17	5	56
10	रेहरा बाजार	0	14	13	25	4	56
	योग	15	161	162	234	53	625

आवेदन करने की अन्तिम तिथि :–

विज्ञापित पद ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के लिए है। रिक्त पदों का ग्रामसभावार विस्तृत विवरण जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है। रिक्त पदो हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04.11.2024 है।

शैक्षिक योग्यताः–

ऑगनबाडी कार्यकत्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

आयु सीमा :–

(1) ऑगनबाडी कार्यकत्री पद हेतु कट ऑफ दिनांक 01.07.2024 को आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(2) आयु के सम्बन्ध में आवेदिका के शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र) में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

चयन हेतु पात्रता / अर्हता :– ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। :–

(क) सीधी भर्ती हेतु ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। :–

(1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा सेनीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला।

(3) गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ख) उपरोक्तानुसार कोई महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही :–

(1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला।

(3) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ग) उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में अर्ह/पात्र महिला अभ्यर्थिनी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्यायपंचायत में से उपरोक्तानुसार ही श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

(च) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

(छ) तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।

(ज) ऑगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्रों में वह उसी वार्ड की निवासिनी होना अनिवार्य होगा।

(झ) आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगें, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

(ट) निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

(ठ) एक ऑगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाडी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

(ड) एक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों/पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।

आरक्षणः—ऑगनबाडी कार्यकत्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण का अनुपालन कर लिया गया है तथा चयन प्रक्रिया के समय प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष विकलांग वर्ग को 3 प्रतिशत व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2 प्रतिशत के निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन-पत्र प्राप्ति प्रक्रियाः—

(1) आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट **upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध फॉर्मेट में केवल ऑनलाइन मान्य होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जोकि स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।

(2) यदि अभ्यर्थिनी द्वारा आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तॉक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14/10/2024

(निहारिका विश्वकर्मा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।

पृष्ठांकन सं० /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन०आई०सी०) बलरामपुर।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तरीय दैनिक समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथकि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों का विस्तृत विवरण विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों में चस्पा कराते हुए प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित ग्रामप्रधानों को इस अनुरोध के साथ कि ग्रामपंचायतों में प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
10. कार्यालय प्रति।

14/10/2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।